फर्द अहकाम

सज्जन कंवर वगै0 बनाम रामस्वरूप वगै0

1/2022

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.11.2022 को पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 11, 13 व 17 की ओर से श्री अतुल दिक्षित एडवाकेट ने वकालतनामा पेश किया। वादी अधिवक्ता शेष प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड नोटिस आवश्यक रूप से पेश करे। दिनांक 24.08.2023 को पत्रावली पेश हुई, अधिवक्तागण उभयपक्ष उपस्थित, प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 11, 13, 17 की ओर से प्रस्तुत वकालतनामा दिनांक 18.11.2022 के क्रम में जवाब दावा तथा प्रतिवादीगण संख्या 4, 23 की ओर से प्रस्तुत यू0टी0 दिनांक 05.04.2023 के क्रम में वकालतनामा तथा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण 01, 03, 05, 08, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ता 22 की ओर से यू0टी0 प्रस्तुत कर वकालतनामा व जवाब दावा हेतु अवसर चाहा गया। तथा प्रतिवादी संख्या 2 बाजदूर रजिस्टर नोटिस के उपस्थित नही हुए। दिनांक 28.06.2024 को पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 6, 7, 11, 13, 17 उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद रजिस्टर नोटिस सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 3 लगायत 5, 8 लगायत 10, 12, 14 लगायत 16, 18 लगायत 23 की ओर से यू0टी0 प्रस्तुत के बाद ना तो वकालतनामा व जवाब पेश किया। उनके वकील अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1, 2 लगायत 5, 8 लगायत 10, 12, 14 लगायत 16, 18 लगायत 23 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 11, 13, 17 दिनांक 18.11.2022 से आज दिनांक तक जवाब दावा पेश नही करने पर जवाब बन्द किया गया। पत्रावली में बहस अंतिम वादीगण अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद वहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

राजजान कंवर वगै0 बनाम रामस्वरूप वगै0

वाद संख्या 31/2022

प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण बिना अधिकार के वादीगण के उक्त वर्णित खसरा नम्बर 2194/1, 2194/2 ग्राम मुहाना पटवार हल्का मुहाना भू.अ.नि.क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में अवैध आवेदन पत्र के आधार पर अवैध अतिक्रमण करते हुए निर्माण नही करे ना ही वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करे और ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे और ना ही वादीगण को बेदखल करे ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करावे।

बहस वादी अधिवक्ता पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादीगण सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादीगण का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेकर निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम मुहाना, पटवार हल्का मुहाना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 2194/1, 2194/2 का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमाचिन्ह के अन्दर यदि प्रतिवादीगण कोई हस्तक्षेप कर रहे है तो उनको वादीगण की सीमा चिन्हित जमीन में दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड
मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:43:28 IST
Reason: SelfAttested